न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 220 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 653

1 हरिप्रकाश पुत्र दलीचन्द बेरवा निवासी निम्बाहेडा

.........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1–प्रार्थी स्वयं
2–विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेडा – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 14.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077 2080 में खाता संख्या 43 की आ.न. 47 रकबा 0.63 हेक्टेयर एंव आ.न. 56 रकबा 1.11 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.74 हेक्टेयर रेकार्ड दर्ज है। प्रार्थियों के नाम दर्ज आराजियात में मोके एंव राजस्व नक्शे में भिनन्ता है, जबकि प्रार्थीगण आंवटन के समय से ही वर्तमान मोके अनुसार काबिज होकर आराजियात के चारो ओर कच्ची पत्थर की चार दिवारी बनी हुई है। अतः उपरोक्त आराजियात मोके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज कर सही किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा जांच रिपोर्ट ली गई एवं उन्होनो अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077–2080 में खाता संख्या 43 की आ.न. 47 रकबा 0.63 हेक्टे. एंव आ.न. 56 रकबा 1.11 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 1.74 हेक्टेयर खातेदार श्री हरिप्रकाश रोहित पुष्पा मीरा मोहनी संतोष पिता दलीचन्द निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थियों द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थियों के नाम दर्ज आराजियात में मोके एंव राजस्व नक्शे में भिनन्ता है, जबकि प्रार्थीगण आवंटन के समय से ही वर्तमान मोके अनुसार काबिज होकर आराजियात के चारो ओर कच्ची पत्थर की चार दिवारी बनी हुई है। अतः उपरोक्त आराजियात मोके पर कब्जा अनुसार राजस्व नक्शे में दर्ज कर सही किया जावें। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात का मौका निरीक्षण पटवार हल्का बड़ोलीघाटा द्वारा किया गया। राजस्व नक्शे में आराजी के उत्तरी ओर आ.न. 57, 63 खातेदारी भुमि, पश्चिमी ओर आ.न 52, 53, 54 संपरिवर्तित भुमि 43, 55 खातेदारी भूमि व दक्षिणी ओर आ.न. 40 खातेदारी भुमि तथा पूर्वी ओर आ.न. 46 रकबा 1.61 हेक्टेयर का उत्तरी भाग दर्ज है। मोके अनुसार आराजी के उत्तरी ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:44 IST
Reason: SelfAttested

आ.न. 57, 63 खातेदारी भुमि, पश्चिमी ओर आ.न 52, 53, 54 संपरिवर्तित भुमि 43, 55 खातेदारी भूमि व दक्षिणी और आ.न. 40 खातेदारी भुमि तथा पूर्वी ओर आ.न. 58 रकबा 2.20 हेक्टेयर किरम भटवेड़ जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा सरफेस रेन्ट पर खनन कार्य हेतु भुमि है। चरागाह आ.न. 46 वर्तमान राजस्व नक्शे में आवेदित आराजियात के पूर्वी ओर है, जबकि मोके अनुसार उक्त चरागाह आराजी आवेदित आराजियात के दक्षिणी ओर है तथा पूर्वी ओर आ.न. 58 है। मोके पर आवेदित आराजियात के चारो पत्थर की कच्ची चार दिवारी बनी है। मौके एवं प्रार्थियो के मौके पर काबिज अनुसार प्रस्तावित अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाना उचित है।

3. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077—2080 में मोके अनुसार आराजी के उत्तरी ओर आ.न. 57, 63 खातेदारी भुमि, पश्चिमी ओर आ.न 52, 53, 54 संपरिवर्तित भुमि 43, 55 खातेदारी भूमि व दक्षिणी और आ.न. 40 खातेदारी भुमि तथा पूर्वी ओर आ.न. 46 रकबा 1.61 है0 का उत्तरी भाग दर्ज है। मौके अनुसार आराजी के उत्तरी ओर आ.न. 57, 63 खातेदारी भुमि, पश्चिम और आ0न0 53,53,54 संपरिवर्तित भुमि 43,55 खातेदारी भूमि व दक्षिणी और आराजी नम्बर 40 खातेदारी भूमि तथा पूर्वि और आ.न. 58 रकवा 2.20 हेक्टेयर किरम भटवेड़ जे.के. सीमेन्ट वर्क्स निम्बाहेड़ा सरफेस रेन्ट पर खनन कार्य हेतु भुमि है। चरागाह आ.न. 46 वर्तमान राजस्व नक्शे में आवेदित आराजियात के पूर्वी ओर है, जबकि मोके अनुसार उक्त चरागाह आराजी आवेदित आराजियात के दक्षिणी ओर है तथा पूर्वी ओर आ.न. 58 है। मोके पर आवेदित आराजियात के चारो पत्थर की कच्ची चार दिवारी बनी है। मौके एवं प्रार्थियो के मौके पर काबिज अनुसार प्रस्तावित अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:—

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error [...]d by a Revenue Officer in any record of rights [...]ring [...]e course of his inspection, no error shall be correct[...] unless a notice to show cause has been given to the [...]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:44 IST
Reason: SelfAttested

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्र[...] (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) — सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू—अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा नक्शा जांच कर मय अनुशंषा भेजा कि काश्तकार की मौके पर नक्शे में भिन्नता है। हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 131 व 136 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। काश्तकारी की कब्जे काश्त की भूमि का आवंटन के समय से ही कब्जा है। ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077–2080 के आराजी 56 रकबा 1.11 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 47 रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि के कब्जे पर प्रार्थी द्वारा दीवार बनाकर कब्जे काश्त की जा रही है। प्रार्थी की कब्जे रिकार्ड मे भिन्नता होने से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तावित नये नक्शे अनुसार प्रस्तावित कर शुद्धि की अनुशंषा की गई। अतः तहसीलदार निम्बाहेडा की तरमीम शुद्धि रिपोर्ट के अनुसार खाता शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है

आदेश

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा की जमाबन्दी रोटेशन वर्ष 2077–2080 में आराजी 56 रकबा 1.11 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 47 रकबा 0.63 हैक्टेयर की वर्तमान राजस्व नक्शे में उत्तर से दक्षिण चौडाई कम होकर पूर्व की और चरागाह आराजी नम्बर 46 रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि के पूर्वी सीमा तक तरमीम एवं चरागाह आ.न. 46 रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि की तरमीम, आराजी नम्बर 41 के दक्षिणी और एवं आराजी नम्बर 39/328 किस्म चरागाह के उत्तरी और प्रस्तावित संलग्न नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधन किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

8. निर्णय आज दिनांक 14.12.2023 को लिखाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:43:44 IST
Reason: SelfAttested

14/12/23
(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा